(48)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 रिव्यू पिटीशन रिव्यू - 662-I-15

गिरीश प्रेमानी पुत्र श्री घनश्याम प्रेमानी आयु– 45 वर्ष, व्यवसाय–व्यापार, निवासी–हाल 356/4 सिविल लाइन झांसी **(उ0प्र0)** ....आवेदक

श्री भूपेन्द्र कुमार माथुर
द्वारा आज दि. 31-3-15 को
प्रस्तुत
31-3-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– नरेन्द्र कुमार खरे पुत्र श्री वंशगोपाल खरे निवासी –निवाडी जिला टीकमगढ(म.प्र.)

2– दीपक पाण्डे पुत्र श्री शिव प्रसाद पाण्डें निवासीहाल– पुराना कालीगंज झांसी(उ.प्र.),

3– कैलाश पुत्र श्री धर्मदास गुप्ता,निवासी हाल चमन गंज सीपरी वाजार झांसी(उ.प्र.)

4– प्रवीण कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश आनन्द निवासी हाल मसीहा गंज झांसी(उ.प्र.) ....अनावेदकगण

Bhuxmanor

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 662–एक / 15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27/5/16	आवेदक अधिवक्ता के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 390–एक / 15 में पारित आदेश दिनांक 12–3–15 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	